FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जोगाराम नेवाद(जाट) शिव शक्ति एवेन्यू , शिव शक्ति दूध डेयरी, कार्यालय दैनिक भास्कर, त्रिखुणियाँ मैन बस स्टेण्ड़, सादड़ी, तहसील देसुरी, जिला–पाली (राजस्थान)		लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 26 / 2020

R.C.M.S. No. -2020/00123

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी(अति. जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 7/8/20 को पेश हो। [signature] जिला कलेक्टर, पाली	754,755 21/07/2020
7/8/20	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी (ADM Pali) के पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 6/8/20 के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी (ADM Pali) द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को मूल ही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उप वन संरक्षक पाली को स्थानान्तरित कर दिया गया है इसलिए इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक/ रा.लो.सू.अ./(6)(3)/127/2020/566 दिनांक 20.3.20 द्वारा मूल प्रार्थना [illegible] उप [illegible] पाली को प्रेषित किया जा[illegible] [illegible] अधिकारी भी वन विभाग [illegible] होने से इस न्यायालय में यह अपील पोषणीय न[illegible] होने से खारिज [illegible] जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। [signature] जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:32:11 IST
Reason: SelfAttested